P-1 | R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal
Part-time Lecturer
Subject - Drafting and Pleading, part - II

संशोधन की अनुमति के सामान्य सिद्धान्त
(General principal of leave to amend)

उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर संशोधन की अनुमति प्रदान करने के निम्न सामान्य सिद्धान्त निष्कर्षित किये गये हैं जो इस प्रकार हैं –

1. न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभिवचनों में संशोधन की अनुमति प्रदान करने के पूर्व सी॰पी॰ सी॰ के आदेश 6, नियम 17 के आवश्यक तत्वों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए
2. संशोधन की अनुमति उदारतापूर्वक प्रदान करनी चाहिए, इस सम्बन्ध में अत्यन्त टेक्नीकल मत नहीं अपनाना चाहिए
3. संशोधन की अनुमति प्रदान करते समय न्यायिक हित को सदैव ध्यान में रखना चाहिए।
4. न्यायालय को संशोधन द्वारा नया केस प्रस्तुत करने की अनुमति किसी पक्षकार को कर देनी चाहिए।
5. उन सभी संशोधनों की अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए जो निम्न दो शर्तें पूरी करते हों –

Scanned with CamScanner

P-2 संशोधन की अनुमति के सामान्य सिद्धान्त
(General principal of leave to amend)

(a) जिनसे विपक्षी के साथ अन्याय न होता है, तथा
(b) जो पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद ग्रस्त प्रश्नों को तय करने के लिए आवश्यक हों।

(6) उन सभी मामलों में संशोधन की अनुमति प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जहाँ विरोधी पक्षकार को प्रस्तावित संशोधन द्वारा होनेवाली क्षति को खर्चा देकर पूरा किया जा सकता है।

(7) न्यायालय को किसी ऐसे संशोधन की आज्ञा नहीं देनी चाहिए जिससे विपक्षी द्वारा प्राप्त कोई वैध अधिकार छिन जाता हो।

(8) विधि या तथ्य की किन्हीं सद्‌भावनापूर्ण भूलों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उचित मामलों में संशोधन की अनुमति दे देनी चाहिए।

(9) न्यायिक विवेक का प्रयोग अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

(10) वादों के बाहुल्य को रोकने के लिए संशोधन की अनुमति दे देना चाहिए।

(11) यदि प्रस्तावित संशोधन अभिवचन को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट करता है तो उसकी अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए।

(12) संशोधन की अनुमति प्रदान करने में न्यायालय की शक्ति Limitation act से बाधित नहीं है।

(13) संशोधन द्वारा किसी ऐसे अभिवचन को अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए जो विरुद्ध हो।

(14) केवल देरी ही संशोधन की अनुमति न देने का आधार नहीं है। लेकिन विचारण पूर्ण हो जाने के पश्चात संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(15) किसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई संशोधन की संकीर्ण शक्ति सी० पी० सी० के आदेश 6, नियम 17 के द्वारा प्रदत्त विस्तृत शक्ति पर हावी होगी।

(16) केवल इस आधार पर संशोधन की अनुमति देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए कि उससे वाद की जटिलता बढ़ेगी अथवा न्यायालय को असुविधा होगी

(17) यदि कोई पक्षकार न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर लेने के बहुत बाद तक भी प्रस्तावित संशोधन नहीं करता है तो न्यायालय

Scanned with CamScanner

P-3 संशोधन की अनुमति के सामान्य सिद्धान्त (General principal of leave to amend)

अन्तिम अवस्था में उसे क्रियान्वित करने से रोक सकता है।

(18) किसी पक्षकार को संशोधन करने की अनुमति बार-बार नहीं दी जानी चाहिए, विशेषकर तब जब वह संशोधनों के माध्यम से अपने अभिवचन को परीक्षण में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अनुरूप मोड़ना चाहता हो।

(19) न्यायालय का कर्तव्य है कि उपर्युक्त वर्णित सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रकाश में मामले की छान-बीन करके संशोधन की अनुमति प्रदान करे या न करे।

(20) कपट, असम्यक असर, दुर्व्यपदेशन, न्यास भंग, साशय व्यतिक्रम आदि अभिवचन के अंग माने जाते हैं। इन्हें कभी भी संशोधन द्वारा अभिलेख पर लिया जा सकता है।

यह इंगित करना आवश्यक है कि अभिवचनों में संशोधन की अनुमति प्रदान करने के आधारभूत सिद्धान्त उक्त लिखित पाँचवें सिद्धान्त में समावेशित हैं जो कि किसन दास के केस में प्रतिपादित किये गये थे और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाहिल के वाद में अनुमोदित भी कर दिया गया है, अन्य सिद्धान्त इन्हीं पर आधारित हैं।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करते हुए हमारे न्यायालयों ने विभिन्न प्रकार के मामलों में अभिवचनों की अनुमति प्रदान की है कि संशोधन की अनुमति नियम प्रतीत होता है एवं अस्वीकृति केवल अपवाद प्रतीत होती है।

यद्यपि वादपत्र एवं लिखित कथन दोनों के सम्बन्ध में संशोधन सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त लागू होते हैं फिर भी एक अन्तर स्पष्ट है। वादी को अपना वादपत्र इस प्रकार संशोधित करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती जिससे कि वाद-हेतु अथवा उसका दावा सारवान रूप से बदल जाये, किन्तु लिखित कथन में बचाव का नया आधार वही समस्या नहीं प्रस्तुत करता, अतः न्यायालयों ने लिखित कथनों के संशोधन के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक उदारता अपनाती है।

Scanned with CamScanner